

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक,- 26 जुलाई 2005

अधिसूचना

क्रमांक -1769/म.प्र.वि.नि.आ./2005 - विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 86 (1) (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग क्रमांक 2119 - वि.नि.आ.-2004 दिनांक 6 अगस्त, 2004 द्वारा अधिसूचित "मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता" में निम्नानुसार संशोधन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में संशोधन

कथित संहिता में

1. धारा 15.8.1 में :

धारा के हिन्दी रूपांतरण में, शब्द, "(2+5)" को शब्द, "प्रकाशन क्रमांक 275" द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे ।

2. धारा 15.8.8 में :

(i) धारा 15.8.8 (ख) के हिन्दी रूपांतरण में, शब्द, "धारा" के उपरांत, शब्द, "15.8.8 (क)" को अर्न्तस्थापित किया जावे ।

(ii) धारा 15.8.8 (ख) के हिन्दी रूपांतरण में, शब्द, "संरक्षण" के उपरांत, शब्द, "सम्मिलित" को अर्न्तस्थापित किया जावे ।

(iii) धारा 15.8.8 (ग) के हिन्दी रूपांतरण में, शब्द, "धारा" को शब्दों, "उपरोक्त दर्शाई धारा 15.8.8 (क)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे ।

(iv) धारा 15.8.8 (ग) के हिन्दी रूपांतरण में, शब्द, यथा, "संरक्षण" के उपरांत शब्द, "सम्मिलित" को अर्न्तस्थापित किया जावे ।

3. धारा 16.4.1 में :

(i) धारा के अंग्रेजी संस्करण में, कालम 'Serial Number' में दर्शाये गये सरल क्रमांक को प्रत्येक स्टैंडर्ड क्रमांक से पूर्व दर्शाये गये "सरल क्रमांक 1 से 10" द्वारा क्रमानुसार प्रतिस्थापित किये जावे ।

(ii) धारा के हिन्दी संस्करण में, प्रत्येक मानक क्रमांक के पूर्व कालम अनुक्रमांक में दर्शाये गये अनुक्रमांक, यथा, "एक, दो,..... नौ, दस" को अनुक्रमांक यथा, "1 से 10" तक क्रमानुसार प्रतिस्थापित किया जावे ।

4. धारा 16.5.1 में :

- (i) धारा के हिन्दी संस्करण में, शब्दों, "1000 डब्लू एच = 1 के डब्लू एच = 1 ईकाई" को शब्दों, "1000 डब्लू एच = 1 के डब्लू एच = 1 यूनिट (इकाई)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे ।
- (ii) धारा के हिन्दी संस्करण में, शब्दों, "1000 एम डब्लू एच = 1 जी एम यू (लाख इकाइयों) को शब्दों "1000 एम डब्लू एच = 1 जी डब्लू एच = 1 एम.यू. (मिलियन यूनिट)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे ।

5. धारा 16.9.3 में :

धारा के हिन्दी संस्करण में, अंक, "12 प्रतिशत" को अंक, "120 प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे ।

6. धारा 16.9.29 में :

धारा के, हिन्दी संस्करण में, शब्दों, "240 वोल्ट" के उपरांत शब्दों, "ए.सी." तथा शब्दों, "220 वोल्ट" के उपरांत शब्दों, "डी.सी." को अर्न्तस्थापित किया जावे ।

7. धारा 16.10.4 में :

धारा के हिन्दी संस्करण में, शब्दों, "उपाबन्ध क" और "उपाबंध ड." को शब्दों, "अनेक्सर ए" तथा "अनेक्सर ई" द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किया जावे ।

8. धारा 16.15.1 में :

धारा के हिन्दी संस्करण में, शब्द, "अतिरिक्त" के उपरांत शब्द, "मटर" को शब्द, यथा, "मीटर" द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे ।

9. धारा 16.16.2 में :

धारा के हिन्दी संस्करण की, तृतीय पंक्ति के शब्दों, "हैय" तथा "1" को शब्दों, यथा "है" तथा "ः" द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किया जावे ।

10. संहिता के हिन्दी संस्करण के अन्त में, शब्द, यथा, "आयोग के आदेशानुसार, अशोक शर्मा, उपसचिव" जोड़े जावें ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उपसचिव